

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी



पत्रांक:- 2063 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, मार्च 02, 2019.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय-

जनपद चमोली के अन्तर्गत बद्रीनाथ वन प्रभाग में चमोली/नन्दप्रयाग/पश्चिमी पिण्डर रेंज के अन्तर्गत एन0एच0/एस0एच0/डी0एम0आर0 नन्दप्रयाग कण्डाई पुल लुनतरा कुरुड घाट भेटी तथा नारायणबगड परखाल रेंस चोपता मोटर मार्ग के 72.80 किमी0 एवं 0.416 है0 वन भूमि में आष्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइस जियो लि0 प्रथम तल जी0एम0एस0 रोड, निरंजनपुर, देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव। Proposal No. - FP/UK/OFC/41939/2019

सन्दर्भ-

प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 3255/12-1 दिनांक 26.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में आपके द्वारा उक्त मोटर मार्ग की RoW चाही गयी है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।


॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 8255 / 12-1, दिनांक, गोपेश्वर, फरवरी 26 /2020

RoW (Right of Way) Certificate

परियोजना का नाम— जनपद चमोली के अन्तर्गत बद्रीनाथ वन प्रभाग में चमोली / नन्दप्रयाग / पश्चिमी पिण्डर रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 / एस.एच0 / डी0एम0आर0 नन्दप्रयाग कण्डाई पुल लुनतरा कुरुड घाट भेंटी तथा नारायणबगड परखाल रेंस चोपता मोटर मार्ग के 72.80 किमी0 एवं 0.416 है0 वन भूमि में आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु रिलायंस जियो लि0 प्रथम तल जी0एम0एस0 रोड, निरंजनपुर, देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।


प्रमाणित किया जाता है कि विषयक परियोजना का निर्माण प्रस्तावनुसार पूर्व निर्मित मोटर मार्ग हेतु स्वीकृत RoW(Right of Way) के अन्तर्गत ओ0एफ0सी0 केबिल मोटर मार्ग के किनारे बिछायी जानी प्रस्तावित है। नन्दप्रयाग से कण्डाई पुल तक की स्वीकृति पूर्व में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक जी0आई0 24/7(1)-2000-600/99 दिनांक 22.12.2000 एवं घाट थराली मोटर मार्ग में घाट से भेंटी तक (किमी0 01 से किमी0 11.250) उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0 जी0आई0 381/14-2-73-628/1991 दिनांक 27.01.1994, थिरपाक काण्डाई मोटर मार्ग हेतु भारत सरकार की पत्र सं0 8बी/यूसीपी/06/271/2000/एफसी/1544 दिनांक 18.01.2005 कुरुड माखणी मोटर मार्ग की लम्बाई 4.70 किमी0 हेतु उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0 जी0आई0 2425/7-1-2010-600(2775)2009 दिनांक 30.10.2010 एवं नारायणबगड परखाल रेंस चोपता मोटर मार्ग की स्वीकृति पूर्व में भारत सरकार के आदेश सं0 8बी/यूसीपी0/06/85/2004/ एफ0सी0/960 दिनांक 25.10.2004 से प्राप्त है।


प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड फॉरेस्ट कॉलोनी, इन्दिरानगर, देहरादून।
- 2- प्रबन्धक, रिलायन्स टेलिफोन लि0, जी0एम0एस0रोड, देहरादून।


प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।